35 5

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 9225 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना बाबत् संशोधित निर्देश।

प्रसंग :– राजस्थान राज पत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी।

सन्दर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2016

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा वित्त विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2016 की पालना में पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा उपापन कार्यवाही के सम्पादन में 15 सामान्य शर्तो की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। 15 सामान्य शर्तो में से शर्त संख्या 3, 4 व 9 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. शर्त संख्या 3 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दर प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रजीस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/सामान्य डाक के साथ–साथ विशेष वाहक से भी भिजवाये जा सकते है।
2. शर्त संख्या 4 में अंकित शर्त "दर प्रस्ताव के साथ गत 2 वर्षो की दाखिल रिटर्न **(जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत से 3 गुणा से अधिक हो)**" को " दर प्रस्ताव के साथ गत 2 वर्षो की दाखिल रिटर्न **(जो कि कम से कम उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के बराबर या अधिक हो)**" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. शर्त संख्या 9 कम में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के अनुसार समिति निविदा प्रकिया अपनाकर उपापन की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रू. 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार खुली निविदा से ही कराये जा सकेंगे, अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रू. 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक के निर्माण कार्य के लिए केवल सामग्री का उपापन कर मस्ट्रोल के आधार पर कार्य कराना अनुमत नहीं होगा।

शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

13.4.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव